भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 229
दिनांक 27 नवम्बर, 2024/ 6 अग्रहायण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीपी)

229 # श्री शंभू शरण पटेल:
श्री बृज लाल:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उत्तरी सीमाओं पर स्थित गांवों के विकास के लिए सरकार द्वारा शुरु किए गए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीपी) की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;
(ख) वीवीपी के अंतर्गत कौन-कौन सी गतिविधियां शुरु की गई हैं; और
(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ग): सरकार ने अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के 19 जिलों की उत्तरी सीमा से सटे 46 ब्लॉकों के चुनिंदा गांवों के व्यापक विकास के लिए 15 फरवरी, 2023 को केन्द्र प्रायोजित योजना के रुप में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीपी) को मंजूरी दी है।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत फोकस्ड क्षेत्रों में हस्तक्षेप के माध्यम से चिन्हित गांवों में पर्यटन एवं सांस्कृतिक विरासत के प्रचार-प्रसार, कौशल विकास एवं उद्यमिता क्षमता का निर्माण एवं कृषि/बागवानी, औषधीय पौधों/जड़ी-बूटियों की खेती आदि सहित सहकारी समितियों के विकास द्वारा जीविकोपार्जन के अवसर निर्माण की परिकल्पना की गई है। हस्तक्षेप के क्षेत्रों में असंबंध गांवों को संपर्क प्रदान करने हेतु सड़क निर्माण, आवास एवं ग्रामीण अवसंरचना, नवीकरणीय उर्जा सहित उर्जा की उपलब्धता, टेलीविजन एवं दूरसंचार संपर्क भी सम्मिलित है। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को चयनित गांवों में रहने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन देना है।

<u>दिनांक 27.11.2024 के लिए राज्य सभा अ. ता. प्र. सं. 229</u>

कार्यक्रम के अंतर्गत, 6800 से अधिक गतिविधियाँ आयोजित की गई हैं, जिनमें जागरूकता अभियान, सेवा वितरण शिविर, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण गतिविधियां, स्वास्थ्य और पशु चिकित्सा शिविर, मेले एवं महोत्सव तथा पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना आदि शामिल है।

*****